क्रम-संख्या—181

रजि० नं० एल०डब्लू०/एल०पी० 890

लाइसेन्स नं० डब्लू०पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 2000

वैशाख 15, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1242/सत्रह-वि-1—1 (क) 13-2000

लखनऊ, 5 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 5 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 2000

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2000]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 16 मार्च, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या 28 सन् 1947 की धारा 45 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4-ङ में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(1) राज्य सरकार एक समिति गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश, न्यायाधीश, जो ज्येष्ठ हो, अध्यक्ष होगा ;

(ख) राज्य सरकार का मुख्य सचिव;

(ग) श्रम विभाग में राज्य सरकार का यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव;

(घ) विधायी विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव;

(ङ) न्याय विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव;

(च) श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश;

(छ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो किसी लोक सेवा आयोग का सदस्य हो या रहा हो।"

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(3) कोई भी व्यक्ति, जो राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा या उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का सदस्य न हो या न रहा हो या जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का या राज्य श्रम सेवा का ऐसा सदस्य न हो या न रहा हो जिसे न्याय व्यवस्था का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का अनुभव हो या जो राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का ऐसा सदस्य न हो या न रहा हो जिसे राज्य के श्रम विभाग में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव हो और न्याय व्यवस्था का तीन वर्ष से अन्यून अवधि का अनुभव हो, उपधारा (2) के अधीन तैयार की गयी सूचियों में नामांकन के लिए पात्र न होगा।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्र अध्यादे संख्या सन् 200

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1242(2)/XVII-V-1—1(KA)-13-2000

Dated Lucknow, May 5, 2000

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Jhagara (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

(114)

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) ACT, 2000

[U. P. ACT No. 21 OF 2000]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Industrial Disputes Act, 1947.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 16, 2000.

Amendment of section 4-E of U. P. Act no. XXVIII of 1947

2. In section 4-E of the United Provinces Industrial Disputes Act, 1947 hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) The State Government shall constitute a committee consisting of the following :—

(*a*) two Judges of the High Court nominated by the Chief Justice of the High Court. The Judge, who is senior, shall be the Chairman;

(*b*) the Chief Secretary to the State Government;

(*c*) the Principal Secretary or Secretary as the case may be, to the State Government in the Labour Department ;

(*d*) the Principal Secretary to the State Government in the Legislative Department;

(*e*) the Principal Secretary to the State Government in the Judicial Department;

(*f*) the Labour Commissioner, Uttar Pradesh;

(*g*) a person who is, or has been, a member of a Public Service Commission, appointed by the State Government."

(*b*) *for* sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(3) No person who is not or who has not been a member of the State Higher Judicial Service or the Uttar Pradesh Nyayik Sewa or who is not or who has not been such member of the Indian Administrative Service, or State Labour Service as has experience of dispensation of justice for a period of not less than 3 years or who is not or who has not been such member of the State Civil Service (Executive Branch) as has experience of working for at least three years in the Labour Department of the State and has experience of dispensation of justice for a period of not less than three years, shall be eligible for enrolment in the lists prepared under sub-section (2)."

Repeal and savings

U. P. Ordinance no. 9 of 2000

3. (1) The Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए० पी० 50 सा० विधा०--(477)--2000--850 (मैक०)।

(115)